न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 47/2020
GCMS NO. : **2020/00105**

-:: सायलान ::-

1. तुलछाई पत्नी स्व. बगाराम
2. बुधाराम पुत्र स्व. बगाराम
जातियान-सिरवी निवासीगण चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला-पाली।

बनाम

-:: गैरसायलान ::-

1. अम्बाराम पुत्र अमराराम जाति सिरवी निवासी चावण्डिया कलां तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 27/08/2020

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 30/03/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया कलां पटवार हल्का चावण्डिया कलां तहसील जैतारण जिला पाली में सायलान की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 15-16 बीघा, खसरा नम्बर 178 रकबा 55-15 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 55-11 बीघा, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.18 बिस्वा गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.05 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 192 रकबा 24-10 बीघा कृषि भूमि आई हुई हैं जिसमें सायलान के पति एवं पिता बगाराम के फौत हो जाने के कारण उक्त सम्पति में उनके हक अधिकार निहित है तथा अपने पति व पिता के हक हिस्से एवं अधिकार के अनुसार ही मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वंश वृक्षावली अनुसार उक्त सम्पत्ति पैतृक पुश्तैनी होने से सायलान को उक्त सम्पति मे हक अधिकार बाई बर्थ जन्मतः प्राप्त हो चुके है। गैरसायलान संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड उक्त कृषि भूमि का वर्तमान में दर्ज है लेकिन बतौर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सायलान का भी उक्त सम्पति मे हक एवं अधिकार निहित है। सायलान के पति एवं पिता बगाराम का देहान्त हो जाने के बाद एक मात्र भरण पोषण का सहारा उक्त कृषि भूमि ही है इसके साथ ही गैरसायलान संख्या 1 एवं उनके घर परिवार में होने वाले जायज जरूरत एवं आवश्यकताओं की पूर्ति भी संयुक्त परिवार के सायलान बराबर बराबर का खर्चा वहन करते चले आ रहे है। सम्पति वंश वृक्षावली अनुसार एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

धारा 40 के माफिक वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से एवं सायलान भी जायन्दा प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानो की श्रेणी एवं विधिक उत्तराधिकारीयो की श्रेणी मे भी सायलान को विधिक एवं साम्पैतिक अधिकार प्राप्त होते है। प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरान भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसको रहन, बेचान, बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने का गैरसायलान को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त सम्पत्ति मे अपने विधिक वारिसानो के हक अधिकारो के तहत उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे अपने हक हिस्से एवं अधिकारो के तहत अपने पति व पिता की आराजी होने से उनके बतौर विधिक वारिसान के तहत अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाने के सायलान विधिक अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। राजस्व रेकर्ड मे गैरसायलान संख्या 1 जो सायलान के दादा ससुर एवं दादा है, के नाम ही रेकर्ड दर्ज होने से गैरसायलान् संख्या 1 सायलान को नुकसान पहुंचाने एवं उनकी सम्पत्ति को हडपने की नियत से एवं उनके हक हिस्से एवं अधिकारो से महरूम करने की नियत से एवं शेष वंशावली में वर्णित व्यक्ति गैरसायलान संख्या 1 की अधिक उम्र का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त सम्पत्ति को बाले बाले ही गैरसायलान संख्या 1 को गफलत में रखकर उक्त सम्पत्ति को अपने नाम या किसी अन्य अजनबी क्रेता के नाम बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत करने पर उतारू हो रखे है। दिनांक 16/08/2020 को गैरसायलान संख्या 1 द्वारा एलानिया कथन किया गया कि उक्त कृषि भूमि को बेच दूगां तथा शेष पुत्रों के नाम करवा दूगां तथा तुम्हारे को कब्जा भी यहां से हटाना पडेगा। अगर गैरसायलान इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है तथा सायलान की पैतृक पुश्तैनी आराजी को बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी एवं मौके पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 15-16 बीघा, खसरा नम्बर 178 रकबा 55-15 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 55-11 बीघा, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.18 बिस्वा गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.05 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 192 रकबा 24-10 बीघा में से सायलान अपने हक हिस्से की आरजी पर पूर्व की भांति ही काबिज होकर काश्त करें, काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे तो उसमे गैरसायलान उनके नौकर-चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान, बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण करे, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को यथास्थिति रखे जाने हेतू गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। साथ ही पैतृक पुश्तैनी सामलाती मकान एवं चल तथा अचल सम्पत्ति को भी रहन, बेचान बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि पद संख्या 1 मे वर्णित कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चावण्डियाकलां में स्थित है, वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार गैरसायलान संख्या 1 है तथा वर्तमान में जीवित है। पद संख्या 2 में वर्णित वंशावली अपूर्ण है अबाराम के तीन पुत्रीया भी है जिन्हे सायलान ने प्रार्थनापत्र में पक्षकार नही बनाया है इसके अभाव मे सायलान का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है। वादग्रस्त आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी नही है क्योकि वर्तमान खातेदार अबाराम के जीवनकाल मे सायलान को कोई भी हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। पद संख्या 3 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी पर सायलान अथवा उसके किसी भी पुत्रान का कोई भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं है। गैरसायलान संख्या 1 ही वादग्रस्त आराजी में एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस पद मे सायलान द्वारा जो कथन किये है केवल मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुती की गरज से अंकित किये है। गैरसायलान संख्या 1 ने अपने जीवन मे अपने पुत्र बगाराम जिसके वारिसान द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है को अपनी जमापूंजी लगाकर गुजरात हिम्मतनगर मे व्यापार करवाया व सायलान के पिता व पति ने वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा व बंट त्यागकर अपने जीवनकाल मे ही अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर गुजरात हिम्मतनगर मे व्यापार हेतू रकम प्राप्त कर ली व और आवश्यकता होने पर गैरसायलान संख्या 1 ने अपनी जमापूंजी में से पैसे देकर हिमतनगर में दो मकान भी बनाकर दिये। सायलान एवं उनके पिता व पति शुरू से ही गुजरात हिम्मतनगर मे व्यापार करते थे कभी गांव चावण्डियाकलां मे नही रहे न ही कभी उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग रहा है। इसके अतिरिक्त गैरसायलान संख्या 1 के पुत्र बगाराम की मृत्यु होने के पश्चात गैरसायलान संख्या 1 ने पुनः अपनी जमापूंजी मे से रकम अदा कर सायलान को गांव चावण्डियाकलां मे बस स्टेण्ड बासनी कवियान जाने वाली रोड पर तीन दुकानें खरीदकर निर्माण करवाकर दे रखी है। इस कारण सायलान का उक्त वादग्रस्त आराजी मे कोई हक व अधिकार शेष नही है। पद संख्या 4 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योकि वर्तमान खातेदार गैरसायलान संख्या 1 अभी जीवित है उनके जीवित रहते उनके वारिसान को किसी भी प्रकार के हक व अधिकार वादग्रस्त आराजी मे उत्पन्न नही होते है। इस कारण सायलान द्वारा जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है वह गैरसायलान संख्या 1 के जीवित रहते पोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है। सायलान गैरसायलान के विरूद्ध घोषणा की डिकी प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही [illegible] दर्ज कथनो का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी सायलान की पैतृक [illegible] कृषि भूमि नही होकर खातेदार गैरसायलान संख्या 1 की कृषि भूमि है जिसके [illegible]वनकाल मे सायलान को वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण ([illegible])

आराजी में किसी प्रकार से हक अधिकार उत्पन्न नही होते है इसके अतिरिक्त इस पद मे वर्णित सम्पूर्ण कथन सायलान ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुती की गरज से अंकित किये है। गैरसायलान संख्या 1 द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकी सायलान को नहीं दी है। इसलिए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायलान/प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा ग्राम चावण्डिया कलां में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 15-16 बीघा, खसरा नम्बर 178 रकबा 55-15 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 55-11 बीघा, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.18 बिस्वा गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.05 बिस्वा गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 192 रकबा 24-10 बीघा के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर सायलान के ससुर एवं दादा गैरसायलान संख्या 1 के विरूद्ध वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। सायलान/प्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि उक्त सम्पत्ति पैतृक पुश्तैनी होने से सायलान को उक्त संपत्ति में हक अधिकार जन्मतः प्राप्त हो चुके है। जवाब प्रार्थना-पत्र एवं दौराने बहस गैरसायल/अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वर्णित वंशावली अपूर्ण है जिसमें अम्बाराम की तीन पुत्रीयाँ भी है, जिन्हें सायलान द्वारा पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी नहीं होने के कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेखीय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम चावण्डिया कलां की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अब्बाराम पुत्र अमराराम वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। सायल/प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे की वादग्रस्त आराजी का प्रथम दृष्टया पैतृक पुश्तैनी होना प्रतीत होता हो। गैरसायल द्वारा प्रार्थी द्वारा वर्णित वंशावली का भी खण्डन किया है। प्रार्थीगण द्वारा गैरसायल अब्बाराम के तीन पुत्रीयाँ होने के कथन के संबंध में भी किसी प्रकार का खण्डन भी नहीं किया गया। अतः मूल वाद के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किसी प्रकार प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है। अतः यह बिंदु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही भू–अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अब्बाराम वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज अन्य अभिलिखित सहखातेदारों में से एक सह–खातेदार है। अतः यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो निश्चित ही उसे अधिक असुविधा होगी। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे की सुविधा का संतुलन का बिंदू उनके पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह साबित होता हो कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। जबकि गैरसायल वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है एवं एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, जब तक की अन्यथा साबित न कर दिया जाये, तो निश्चित ही उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग–उपयोग से महरूम होना पड़ेगा। जिससे गैरसायल को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested